न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 89/2024/दावा दायर दिनांकः 18.07.2024

उनवान

1. बालाराम पि. रामप्रताप जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर
2. मनोहरलाल पि. रामप्रताप जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
3. घनश्याम पि. गेंदालाल जाति दांगी नि. चवण्ड्या तहसील रायपुर
4. राजेन्द्र कुमार पि. गेदालाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
5. राधेश्याम पि. गेंदालाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
6. रामेश्वर पि. नरसिंह लाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
7. शोभाराम पि. नरसिंह लाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
8. जगन्नाथ पि. भवाना जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
9. सुन्दरबाई पत्नि शांताराम
10. शाखा प्रबंधक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रायपुर
11. शाखा प्रबंधक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कालीतलाई
12. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक झालावाड

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मिथलेश टेलर

प्रतिवादी सं. 1 :– पेरोकार सरकार

प्रतिवादी सं. 2 से 10 :– एकतरफा

निर्णय

दिनाक : 29.11.2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 108 की कृषि भूमि किता 24 रकबा 11.7359 के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 9 के शामलाती खातेदारी में स्थित होकर काबिज काश्त कर रहे है। यह कि पैरा सं. 1 में अंकित आराजियात में से ख.नं. 34 रकबा 2.4660 है. बीड प्रथम वादग्रस्त आराजी है। यह कि [illegible] ख.नं. में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

454/34 नहर में अधिकृत लगभग 15 बिस्वा अवाप्त हो गई है। नहरीकरण में अवाप्त कर वर्तमान नक्शे में सही तरमीम कर दी गई है। यह कि वर्तमान में नक्शा ट्रेस में एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा आन लाईन कम्प्यूटरीकृत करते वक्त सहवन से ख.नं. 454/34 के स्थान पर 34 एवं ख.नं. 34 के स्थान पर 454/34 गलत दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक हो चुका है एवं न्यायहित में आवश्यक है। यही वाद कारण रहा है। प्रार्थी आये दिन राजस्व कार्यालयों के चक्कर काट काट कर परेशान हताश हो चुका है। दावा माननीय न्यायालय से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अण्डर अवधि पेश है। यह कि दावा डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम चवण्डिया की आराजी ख.नं. 34 एवं ख.नं. 454/34 नक्शा ट्रेस में आन लाईन कम्प्यूटरीकृत में हो रही त्रुटी को वर्तमान नक्शा ट्रेस से मिलान कर शुद्धिकरण किये जाने के आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे आदेशिका दिनांक 21.10.2024 के अनुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रतिवादी सं. 1 पैराकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर पत्रांक एलआर/2024/626 दिनांक से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी घनश्याम पि. गेंदालाल द्वारा ग्राम चवण्डिया के आनलाईन नक्शे में ख.नं. 34 व 454/34 की तरमीम शुद्धि हेतु निवेदन किया है जिसकी जांच पटवारी हल्का से करवायी गई। मुताकिब जांच रिपोर्ट प्रार्थी घनश्याम पि. गेंदालाल के ख.नं. 34 पश्चिम दिशा में वर्तमान नक्शे में संभवतः ऐसा सेग्रिगेशन के समय सहवन से गलत दर्ज हो गया है। मृताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट के प्रार्थी के ख.नं. 34 पूर्व दिशा की तरफ व सिंचाई विभाग चंवली बांध सिंचाई परियोजना का ख.नं. 454/34 पश्चिम दिशा में तरमीम शुद्धि करने की अनुशंषा की जाती है।

4. अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ग्राम चवण्डिया की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 108 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 20.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 10:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

06.2024, नामा.सं. 190 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी सं. 2060–63 के खाता सं. 56 की प्रमाणित नकल, नक्शा दिनांक 02.05.2024, जमाबंदी सं. 2072–75 का खाता सं. 143 की छायाप्रति पेश की।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.08.2024, नक्शा ट्रेस दिनांक 12.08.2024, नक्शा दिनांक 12.08.2024 पेश किया।

6. अभिभाषक वादी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 9 के सहखाते की आराजी मूल ख.नं. 34 रकबा 2.6557 है. आराजी में से पश्चिम दिशा की 0.1897 है. भूमि सिंचाई विभाग द्वारा चंवली सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की जाकर सिंचाई विभाग के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि का ख.नं. 454/34 रकबा 0.1897 है. एवं वादी की सहखाते की शेष आराजी ख.नं. 34 रकबा 2.4660 है. दर्ज रिकार्ड है लेकिन तहसील के आनलाईन होते समय सेग्रिगेशन के दौरान नक्शे में त्रुटीवश वादी के सहखाते की आराजी का नक्शा पश्चिम दिशा में एवं सिचाई विभाग की भूमि का नक्शा पूर्व दिशा में बना दिया जो कि गलत होने से धारा 131 व 136 एलआरएक्ट में दुरूस्त किये जाने योग्य है। नक्शे में यह त्रुटी वादी द्वारा नहीं की जाकर राजस्व विभाग द्वारा की गई है।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि वादी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मूल ख.नं. 34 की तरमीम में सेग्रिगेशन के दौरान त्रुटी होना स्वीकार किया। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया।

8. अभिभाषक वादी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चवण्डिया तहसील [illegible] की जमाबंदी सं. 2072–75 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार खाता सं. [illegible] का ख.नं. 34 रकबा 2.4660 है. वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बहस के दौरान पैरोकार सरकार द्वारा भी राजस्व कार्मिकों की उक्त त्रुटि को स्वीकार किया है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम किया जाना उचित बताया है।

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम चवण्डिया के खसरा नम्बर 34 एवं ख.नं. 454/34 में सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम चवण्डिया के खसरा नम्बर 34 एवं ख.नं. 454/34 के संबंध में प्रार्थी का दावा धारा 131 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम चवण्डिया के खसरा नम्बर 34 एवं ख.नं. 454/34 का तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट एलआर/2024/626 एवं संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार भू नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज०

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner